


गोवा पत्रावली पेश हुई। वकूलाथ उपो
की वकीलनेदिनांक 20/8/19 को एक प्रार्थना
-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 0
CPC का प्रस्तुत कर नये वाद
प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ
विद्वो क्रिये जाने का निवेदन किया।
वकील वादी को चुना गया। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। वादी का
वाद धारा 188 राजस्थान कश्तकारी
नियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया
गया है। ऐसे वाद कभी भी खातेदार
की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने
पर न्यायालय में प्रस्तुत किये जा
सकते हैं।

वादी का प्रार्थना पत्र
अं 023R। CPC का स्वीकार किया
जाकर उक्त वाद जसिये विद्वो
खारीज किया जाता है।

पत्रावली फिसल शुवार होकर पत्र
दाखिल हो।




सहायक कलेक्टर (FT), जोधपुर